महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2023

क्रमांक 2350/1521490 /2023/50–2 :: राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम, 2015 (संशोधन अधिनियम, 2021) की धारा 105 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम 2022 (मूल नियम 2016) के नियम 83 के उपनियम 5 एवं 6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये किशोर न्याय निधि **(Juvenile Justice Fund)** के रखरखाव, संचालन, उपयोग एवं वित्तीय प्रक्रियाओं के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन नियमों का का संक्षिप्त नाम " **मध्यप्रदेश किशोर न्याय निधि नियम, 2023 होगा**।"

   (2) यह नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

   (3) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ**–

   (1) **"अधिनियम"** से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन, 2021) अभिप्रेत है।

   (2) **"नियम"** से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम, 2022 (मूल नियम, 2016) अभिप्रेत है।

   (3) **"पॉक्सो अधिनियम"** से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधन, 2019) अभिप्रेत है।

   (4) "**पॉक्सो नियम**" से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 अभिप्रेत है।

   (5) **"मध्यप्रदेश किशोर न्याय निधि"** से अधिनियम की धारा 105 के तहत् स्थापित किशोर न्याय निधि से है।

   (6) **उन सभी शब्दों और पदों, जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में अर्थ है।**

3. **किशोर न्याय निधि का सृजन–(1)** राज्य सरकार किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम के तहत् स्थापित/संचालित प्राधिकरणों/संस्थाओं के निर्माण एवं सुदृढीकरण, बाल देखरेख संस्थाओं में आधारभूत सुविधाऐं, गुणवत्तापूर्ण एवं बाल अनुकूल वातावरण निर्माण तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके कल्याण एवं पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार के लिए

कौशल प्रशिक्षण तथा समाज की मुख्यधारा में पुनः समेकन/पुनर्समेकन एवं उनके विकास हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 105 एवं किशोर न्याय नियम 83 के तहत् किशोर न्याय निधि का सृजन करेगी।
(2) इस नियम के नियम के नियम 3 के उपनियम (1) के तहत् सृजित किशोर न्याय निधि के संचय हेतु राज्य सरकार राष्ट्रीय कृत बैक में खाता खोलेगी।

4. **निधि संचय–(1)** इस नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के तहत् ख़ोले गये बैंक खाते में विशिष्ट प्रयोजन या बिना किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान अथवा कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पाँसब्लिटी (सामाजिक दायित्व) के अंतर्गत निधि प्राप्त की जा सकेगी।

(2) इस नियम के नियम 4 के उपनियम **(1)** के तहत् संचित निधि सीधे इस नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के तहत् राज्य स्तर पर खोले गये बैंक खाते में जमा की जायेगी।

5. **किशोर न्याय निधि हेतु दान/अनुदान के स्त्रोत** :–(1) इस नियम के नियम 4 के उपनियम (1) के तहत् प्राप्त दान/अनुदान के स्त्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं –

(i) महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा बजट (राशि) का आवंटन/दान ।

(ii) केन्द्र /राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब एवं बैंकों द्वारा दान/अंशदान/अनुदान/सहयोग।

(iii) स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठन, कॉर्पोरेट्स (कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पोंसब्लिटी सहित) द्वारा दान/अंशदान/अनुदान/सहयोग ।

(iv) भामाशाहों, उद्योगपतियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, राजकीय/गैर राजकीय कार्मिकों एवं व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक दान।

(v) राजकीय शुल्क/जुर्माना के स्वरूप में प्राप्त राशि।

(vi) न्यायालय/बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड में लगाये गये आर्थिक दण्ड/जुर्माने के स्वरूप प्राप्त राशि।

6. **किशोर न्याय निधि का संचालन** –(1) स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों (स्वैच्छिक दान देने वाला कोई भी व्यक्ति) उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं क्लब इत्यादि द्वारा दिया जाने वाला दान/अनुदान, नगद चैक, डिमांड ड्राफ्ट, सीधे अथवा ऑनलाईन माध्मम से इस नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के तहत् खोले गये बैंक खाते में जमा करवाया जा सकेगा।

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों (स्वैच्छिक दान देने वाला कोई भी व्यक्ति), उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं क्लब इत्यादि द्वारा "किशोर न्याय निधि योजना" के नाम से स्वयं या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालनालय, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश, विजया राजे वात्सल्य भवन, भोपाल को चैक, डिमांड ड्राफ्ट, भेजा जा सकेगा, जिसे राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) द्वारा किशोर कल्याण निधि योजना के खाते में जमा कराया जायेगा ।

(3) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) एवं जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई (**DCPU**) द्वारा इस नियम के नियम 6(2) में उल्लेखित दानदाताओं को निधि में जमा की गई राशि की प्राप्ति रसीद मांगे जाने पर उपलब्ध करवायी जायेगी।

7. **किशोर न्याय निधि का उपयोग** –(1) इस नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के तहत् राज्य स्तर पर खोले गये बैंक खाते में जमा किशोर न्याय निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया जा सकेगा

(**i**) बाल देखरेख संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन।

(**ii**) बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चे के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता।

(**iii**) विधिक सहायता एवं समर्थन का सुदृढीकरण ।

(**iv**) बाल देखरेख संस्था में निवासरत बच्चों के उद्यमशील सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान हेतु ।

(**v**) बाल देखरेख संस्थान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 23 वर्ष की आयु तक संस्थागत देखरेख का त्याग करने वाले बच्चों को जीवन निर्वाह हेतु सहायता प्रदान करने हेतु परंतु यह राशि मिशन वात्सल्य के तहत् दी जाने वाली ऑफ्टर केयर की राशि से अधिक नही होगी।

(**vi**) बाल देखरेख संस्थान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संस्थागत देखरेख का त्याग करने वाले बच्चों/व्यक्तियों को जीवन की मुख्यधारा में पुनर्समेकन हेतु छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी एवं अवसंरचना निर्माण में सहायता करना तथा देखरेख सुविधाएं एवं उद्यमशीलता निधि प्रदान करना ।

(**vii**) विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को अपराध से दूर कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु मुख्यधारा में पुनर्समेकन हेतु छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी एवं अवसंरचना उपलब्ध में सहायता करना

(**viii**) पालन–पोषण देखरेख प्रायोजन एवं पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान करना ।

(**ix**) उग्रवादी समूहों एवं वयस्क समूहों से मुक्त कराये गये बच्चों सहित विषम परिस्थितियों में आवासरत बच्चों के पुनर्वास के लिए ।

(**x**) बच्चों के प्रकरण के विचारण हेतु यात्रा व्यय वहन करना एवं बच्चों का परिवार में प्रत्यावर्तन हेतु पुलिस सहित मार्गरक्षक व्यय वहन करने हेतु ।

(**xi**) बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डों, बाल/पॉक्सो न्यायालयों एवं समितियों का निर्माण करने में ।

(**xii**) बच्चों की जरूरतों को समझने के लिए माता–पिता एवं देखरेखकर्ताओं के क्षमतावर्धन हेतु।

(**xiii**) बाल अधिकारों एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम के आयोजन में।

(**xiv**) बाल देखरेख संस्था में निवासरत असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चों के चिकित्सा उपचार में।

(**xv**) बाल देखरेख संस्थान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संस्थागत देखरेख का त्याग करने वाले ऐसे बच्चे जिन्हें आयुष्मान कार्ड योजना के तहत् चिकित्सा बीमा का लाभ प्राप्त नही हो रहा है उनके चिकित्सा बीमा हेतु वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किये जाने में।

(**xvi**) बच्चों के विरूद्ध अपराधों को पहचानने एवं उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बाल संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए ।

(**xvii**) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बच्चों (जिसमें जाँच एवं **Trial** के समय भी सम्मिलित है) को विशेष व्यावसायिक सेवाएं परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया (**translator**) ,विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक, विशेषज्ञों, संकेत भाषी दुभाषियों और सहायक व्यक्ति (**support person**) आदि को उपलब्ध कराने हेतु ।

(**xviii**)बाल देखरेख संस्थाओं में आवासरत बच्चों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बच्चों हेतु मनोरंजन सुविधाएं उनके लिए पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त कियाकलापों के लिए।

(**xix**) कैंसर से पीड़ित बच्चों को कैंसर निवारक देखरेख एवं उनके माता–पिता को ठहरने की सुविधाओं हेतु ।

(**xx**) बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर दिये जाने हेतु खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु।

(**xxi**) पॉक्सो नियम 8(2) के तहत् विक्टिम को भोजन, वस्त्र, परिवहन और अन्य व्यवस्था आदि के लिए प्रदाय की जाने वाली आकस्मिक राशि हेतु।

(**xxii**) इस अधिनियम और इन नियमों में शामिल किए बच्चे के समग्र संवृद्धि विकास और कल्याण को समर्थन देने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम या कार्यकलाप हेतु।

(**xxiii**) किशोर न्याय समिति के प्रशासनिक एवं आकस्मिक व्यय हेतु।

8. **निधि के उपयोग के नियम** –(1) किशोर न्याय निधि में प्राप्त राशि का उपयोग इस नियम के नियम 7 के उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ निम्नानुसार विधि से किया जायेगा–

(i) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी(***SCPS***) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरांत बजट आवंटन बीसीओ से जिले के डीडीओ को किया जावेगा।

(ii) बजट का आवंटन योजना शीर्ष 055–2235–02–103–101–8052–किशोर कल्याण निधि योजना के 51–000 अन्य प्रभार में किया जायेगा।

(iii) किशोर न्याय निधि का उपयोग राज्य के वित्तीय मापदण्डों एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(iv) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 83 (3) के तहत् किशोर न्याय निधि में दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान या निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधि, चाहे किसी विशेष प्रयोजन के लिए या बिना किसी विशेष प्रयोजन के, प्राप्त कर सकेगी और ऐसी निधि सीधे किशोर न्याय निधि में जमा की जाएगी।

(v) पॉक्सो नियम 8(2) के तहत् विक्टिम को भोजन, वस्त्र, परिवहन और अन्य व्यवस्था आदि के लिए प्रदाय की जाने वाली आकस्मिक राशि (अधिकतम राशि रूपये दस हजार मात्र) के भुगतान हेतु।

(vi) विशेष व्यावसायिक सेवाएं परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक, विशेषज्ञों, संकेत भाषी दुभाषियों और सहायक व्यक्तियों (**support persons**) आदि को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित व्यक्ति को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा 500/– प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा किंतु प्रदाय राशि न्यूनतम मजदूरी नियम, 1948(1948 का 11) के अधीन एक कुशल कर्मकार के लिए विहित रकम से कम नहीं होगी।

(vii) बाल देखरेख संस्थान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संस्थागत देखरेख का त्याग करने वालेवाले ऐसे बच्चे जिन्हें आयुष्मान कार्ड/अन्य केन्द्र या राज्य सरकार की योजना के योजना के तहत् चिकित्सा बीमा का लाभ प्राप्त नही हो रहा है उनके लिए अधिकतम राशि रूपये पांच लाख तक की राशि के चिकित्सा बीमा के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान 23 वर्ष की आयु तक किशोर न्याय निधि से किया जायेगा।

(viii) इस नियम के नियम 8 के उपनियम 1(**vii**) के तहत् शासकीय/अशासकीय सेवा प्रदाता के माध्यम से चिकित्सा बीमा प्रदाय जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरांत करवाया जायेगा।

(ix) संबंधित डीडीओ द्वारा किशोर न्याय निधि के बजट का आहरण एवं भुगतान प्रस्ताव में लेख प्रयोजनार्थ ही किया जा सकेगा।

(x) इस नियम के नियम 6 के उपनियम (1) एवं (2) के तहत् जिले में प्राप्त दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान या निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्राप्त निधि को जिले द्वारा इस नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के तहत् राज्य स्तर पर खोले गये बैंक खाते में चालान/अभिलेख के माध्यम से जमा किया जायेगा।

(xi) जिले द्वारा नियम 8 के उपनियम उपनियम 1(**x**) के द्वारा जमा राशि के अभिलेख, रजिस्टर आदि का संधारण किया जायेगा।

9. **निधि का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु प्रक्रिया**–(1) इस नियम के नियम 7 के उपनियम (1) के तहत् लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

(i) बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई(**DCPU**) को सहायता का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य सहित विधिवत प्रस्ताव भेजा जायेंगा।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई(**DCPU**) में कार्यरत गैर संस्थागत संरक्षण अधिकारी एवं विधि सह परिवीक्षा अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रकरण जिला बाल संरक्षण अधिकारी(**DCPO**) को प्रस्तुत किये जायेगे।

(iii) जिला बाल संरक्षण अधिकारी इस नियम के नियम 9 के उपनियम (1) (**ii**) के माध्यम से प्राप्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने के उपरांत औचित्यपूर्ण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के साथ प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(iv) जिला मजिस्ट्रेट नियम 7 में वर्णित प्रयोजन का लाभ बच्चों का प्रदाय किये जाने हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किशोर न्याय निधि से निधियां प्राप्त किये जाने के लिए निदेशक राज्य बाल संरक्षण सोसयटी/आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

(v) पॉक्सो नियम 8(2) के तहत् विक्टिम को आकस्मिक राशि (अधिकतम दस हजार) का भुगतान हेतु विशेष न्यायालय/बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्ताव जिला बाल संरक्षण इकाई (**DCPU**) को प्रेषित किया जायेगा।

(vi) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पॉक्सो नियम 8(2) के तहत् विक्टिम को प्रदाय आकस्मिक राशि का भुगतान इस नियम के नियम 8 के उपनियम 1 में प्रावधनित प्रक्रिया का पालन करते हुये जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन उपरांत एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।

(vii) इस नियम के नियम 9 के उपनियम 1 (**vi**) के लिए अतिरिक्त बजट का आबंटन जिलों की मांग अनुसार किया जायेगा, इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट निधियां प्राप्त किये जाने के लिए प्रस्ताव निदेशक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी/आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

(viii) जिला मजिस्ट्रेट से निधियां प्राप्त किये जाने के प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसयटी द्वारा किया जायेगा।

(ix) जिला मजिस्ट्रेट से नियम 9 के उपनियम 1 (**iv**) अनुसार प्राप्त प्रस्तावों का राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) स्क्रीनिंग कर अनुमानित वित्तीय भार सहित प्रस्ताव तैयार करेगी एवं संचालनालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(x) संचालनालय स्तर पर गठित समिति से प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) द्वारा प्रकरण बजट स्वीकृति हेतु प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु निदेशक राज्य बाल संरक्षण सोसयटी/आयुक्त महिला एवं बाल विकास के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जावेगा।

(xi) इस नियम के नियम 9 के उपनियम 1(**vi**) अनुसार अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) द्वारा बजट आवंटन बीसीओ से जिले के डीडीओ को किया जायेगा।

(xii) जिला मजिस्ट्रेट से पॉक्सो नियम 8(2) के तहत् विक्टिम को प्रदाय आकस्मिक राशि का भुगतान हेतु नियम 9 के उपनियम 1 (**vii**) अनुसार अतिरिक्त बजट का आबंटन निदेशक राज्य बाल संरक्षण सोसयटी/आयुक्त महिला एवं बाल विकास के अनुमोदन के उपरांत बीसीओ से जिले के डीडीओ को किया जायेगा।

(xiii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा किसी अन्य संस्था/एजेंसी/बच्चे को स्वीकृत राशि का विस्तृत लेखा–जोखा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी एवं संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पृथक से संधारित किया जायेगा।

(xiv) स्वयंसेवी संस्थाओं कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की इच्छा/अभिरूचि अनुरूप किशोर न्याय निधि में उनसे प्राप्त होने वाले दान का किसी विशिष्ट कार्य/प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा बशर्ते वह प्रयोजन निधि के उद्देश्य एवं निर्धारित प्रयोजन से संबंध रखता हो ।

(xv) किसी भी आकस्मिक स्थिति में बच्चों के कल्याण हेतु एक बार में रूपये एक लाख तक की राशि जारी किये जाने के समस्त अधिकार सचिव, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) को रहेंगे। ऐसे समस्त आकस्मिक व्यय को आगामी राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (**SCPS**) के समक्ष रखा जायेगा।

10. **बैक खाते का संचालन एवं रखरखाव–** (1) किशोर न्याय निधि (**Juvenile Justice Fund**) का रख– रखाव एवं संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

(2) राज्य स्तर पर निधि का संचालन एवं रखरखाव राज्य बाल संरक्षण सोसायटी एवं जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा।

(3) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय निधि योजना में प्राप्त राशि एवं इसकी उपयोगिता के संबंध में लेखा संबंधी विस्तृत रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

11 **विभिन्न कृत्यकारियों के दायित्व** –

(1) **राज्य बाल संरक्षण सोसायटी** –

(i) किशोर न्याय निधि में नियमित स्तर पर योजना शीर्ष 8052–किशोर कल्याण निधि योजना के तहत् पर्याप्त फंड (राशि) आवंटित करना।

(ii) किशोर कल्याण निधि में दान (स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान अथवा कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पोंसब्लिटी के अंतर्गत निधि सहित) हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों एवं अन्य संचार के माध्यमों से नियमित अन्तराल पर विज्ञापन प्रकाशित करना तथा इसका व्यापक प्रचार– प्रसार करना। ।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों (स्वैच्छिक दान देने वाला कोई भी व्यक्ति), उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को चिन्हित करना ।

(iv) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा स्वयं के स्तर एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को किशोर न्याय निधि योजना एवं इसकी उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जायेगा तथा उन्हें इस निधि में बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु दान करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(v) राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों, स्वशाषी संस्थाओं, लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि तथा बैंकों से समन्वय स्थापित कर किशोर न्याय निधि में दान करने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(vi) सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमित अन्तराल पर स्वयंसेवी संस्थाओं कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ समय – समय पर बैठक आयोजित की जायेगी।

(vii) राज्य बाल सरंक्षण सोसायटी द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं, कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से नियमित अन्तराल पर इस निधि में दान प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक होने पर अनुबंध करना।

(**viii**) जिला बाल संरक्षण संरक्षण इकाई से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर राशि का आबंटन करना।

(**ix**) किशोर न्याय निधि के तहत् प्रदाय राशि का लेखा जोखा रखना।

(**x**) जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक निर्देश प्रकाशित करना।

(2) **जिला बाल संरक्षण इकाई–**

(**i**) जिला स्तर पर सक्रिय एवं सक्षम अशासकीय संगठन, कॉर्पोरेट्स, भामाशाहों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को चिन्हित कर निर्धारित समयावधि (लगभग 6 माह में) किशोर कल्याण निधि के संबंध में बैठक का आयोजन करना।

(**ii**) किशोर न्याय निधि में दान करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(**iii**) इकाई द्वारा शासकीय एवं अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में आने वाले जन प्रतिनिधि/इच्छुक दानदताओं को किशोर न्याय निधि में राशि प्रदाय किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(**iv**) नियम 6 के अनुसार प्राप्त राशि को किशोर न्याय निधि में जमा करवाना।

(**iv**) इन नियमों में प्रावधानित नियमों के तहत् निधियों का लाभ जिले में प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यता एवं प्रस्तावों का आंकलन कर बजट मांग पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करना।

12. **किशोर न्याय निधि की वार्षिक रिपोर्ट** –(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय निधि में प्राप्ति, आहरण, वितरण एवं अन्य जानकारी का विवरण एवं लेखा–जोखा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत तैयार किया जायेगा।

(2) राज्य बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक तिमाही एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किशोर न्याय निधि का लेखा जोखा राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (**SCWPC**) के समक्ष अवलोकन हेतु रखेगा।

(3) जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय निधि में प्राप्ति आहरण, वितरण एवं अन्य जानकारी का विवरण एवं लेखा–जोखा तैयार किया जायेगा तथा

प्रत्येक तिमाही एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (**DCWPC**) के समक्ष रखा जायेगा।

13. **निगरानी एवं समीक्षा**–(1) किशोर न्याय निधि **(Juvenile Justice Fund)** के रखरखाव, संचालन, उपयोग एवं वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी एवं समीक्षा राज्य स्तर पर निदेशक राज्य बाल संरक्षण सोसायटी/आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी।

14. **लेखा जोखा एवं लेखापरीक्षा**– (1) किशोर न्याय निधि **(Juvenile Justice Fund)** के तहत् प्राप्त निधियों, व्यय, प्रस्ताव एवं आबंटन एवं अभिलेख का समस्त लेखा जोखा राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा रखा जायेगा।

(2) किशोर न्याय निधि के तहत् रखे गये समस्त लेखा जोखा , आय–व्यय का वार्षिक अंकेक्षण राज्य बाल संरक्षण सोसायटी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चार्टर्ड अधिनियम, 1949 के द्वारा पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेट की फर्म से करवाया जायेगा।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य बाल संरक्षण सोसायटी द्वारा राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (**SCWPC**) एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला बालकल्याण एव संरक्षण समिति (**DCWPC**) के समक्ष रखा जायेगा।

15. **जागरूकता** –(1)किशोर न्याय निधि में के लिए धन जुटाने या दान को बढ़ावा देने, आमजन को जोड़ने हेतु प्रतिवर्ष राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें लाभांवित होनहार बच्चों के कौशल को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया जायेगा, जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को निधि में सहायता हेतु प्रेरित किया जा सके।

(2) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (संशोधन, 2021) की धारा 74 में प्रावधानित बच्चों की पहचान संबंधी प्रावधानों का पालन करते संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर जागरूकता कार्यक्रम/अभियान संचालित किये जायेगे।

16. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति**–(1) प्रशासकीय विभाग को " मध्यप्रदेश किशोर न्याय निधि नियम, 2023 के विस्तार, कठनाई/बाधा ,किसी बिन्दु की व्याख्या /शिथिलता, किसी विवाद को दूर करने हेतु अधिसूचना/परिपत्र/दिशा–निर्देश/अपेक्षित सुधार करने की शक्ति होगी।

परंतु यह कि इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व किशोर न्याय नियम, 2016,म0प्र0 किशोर न्याय नियम 2022 एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधन नियम, 2022 (मूल नियम, 2016) के उपबंधों के अधीन किशोर न्याय निधि (Juvenile Justice Fund) के रखरखाव, संचालन, उपयोग एवं वित्तीय प्रक्रियाओं के निर्धारण के संबंध में की गई कार्यवाही या जारी किया गया आदेश इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई या जारी किया गया समझा जाएगा।

अजय कटेसारिया, उपसचिव.